ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

प्रो. रजनीश जैन
सचिव
Prof. Rajnish Jain
Secretary

सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)
बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Ph :. 011-23236288/23239337
Fax : 011-2323 8858
E-mail : secy.ugc@nic.in

मिसिल संख्या 2-19/2007 (कदाचार विरोधी प्रकोष्ठ) **सितम्बर, 2020**

30 SEP 2020

विषयः-आई.आई.पी.एम., नई दिल्ली के अमान्य दर्जे के बारे में।

एतद् द्वारा सर्वसाधारण एवं छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(f) के अनुसार इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एण्ड मैनेजमेन्ट (आई.आई.पी.एम.) 133/4, कुतुब एंक्लेव, फेज-2, नई दिल्ली -16 विश्वविद्यालय नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम की धारा 22(3) के निर्दिष्टानुसार आई.आई.पी.एम. को डिग्री प्रदान करने का कोई अधिकार नहीं है।

यह भी सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आई.आई.पी.एम. को बी.बी.ए./ एम.बी.ए./बी.सी.ए. स्नातक अथवा स्नाकोत्तर स्तर पर डिग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत नहीं किया है और ना ही मान्यता प्रदान की है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 26.09.2014 में वाद संख्या 5937 / 2010 (बी. महेश शर्मा बनाम भारत संघ एवं अन्य) के अन्तर्गत आई.आई.पी.एम. को किसी भी पाठ्यक्रम के अन्तर्गत डिग्री प्रदान करने के लिए रोक लगाई है।

रजनीश

(रजनीश जैन)